आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT-II)
नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001.
NEW CUSTOM HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI–400001.
फोन- 02222757717, ई मेल-hindimumbaizone1@gmail.com

दिनांक: 05-01-2026
(अक्टूबर से दिसंबर-2025 की तिमाही, 62वींबैठक)

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
Subject: Minutes of the meeting of Official Language Implementation Committee(OLIC).

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 24.12.2025 को शाम 4 बजे, श्री कुमार अमरेन्द्र नारायण, अध्यक्ष एवं आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारी के नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	कार्यालय/विभाग
01	कुमार अमरेन्द्र नारायण	अध्यक्ष एवं आयुक्त	आयात-II
02	सुभाष यादव	अपर आयुक्त	आयात–II/राजभाषा
03	ज्योति अग्रवाल	अपर आयुक्त	आयात-II
04	अजित रॉय तोगारे	उप आयुक्त	आयात–II
05	हरीश परमार	उप आयुक्त	आयात–II/राजभाषा
06	अमित भाटिया	सहायक आयुक्त	आयात–II
07	जे. ए. पटेल	सहायक आयुक्त	आयात–II
08	धर्म वीर चौहान	क. अनुवाद अधिकारी	आयात-I, आयात-II एवं लेखापरीक्षा/राजभाषा

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत सदस्य सचिव श्री धर्म वीर चौहान, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की। बैठक का मिनट दर मिनट वृत्तान्त इस प्रकार है।

2-पिछली बैठक (दिनांक 23.09.2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति
राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की पिछली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिनपर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है।

2.1-ई-ऑफिस में हिन्दी टिप्पणी बढ़ाने के लिए पत्र
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में ई-ऑफिस से व्यक्तिवार हिन्दी टिप्पणी रिपोर्ट निकाली गई; और जिनका हिन्दी टिप्पणी रिपोर्ट 5% या उससे कम था, उन्हें व्यक्तिशः पत्र (अलग-अलग कुल 60 पत्र) लिखकर बताया गया कि वे आगे से लक्ष्यानुसार (55%) हिन्दी टिप्पणी लिखें।

(अनुपालन पूर्ण)

2.2-हिन्दी टिप्पणी बढ़ाने के लिए जारी सामान्य आदेश
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कम से कम 55% हिन्दी टिप्पणी लिखने के उद्देश्य से एक सामान्य आदेश जारी किया गया, जिसे कार्यालय के सभी अनुभागों में परिचालित किया गया।

(अनुपालन पूर्ण)

2.3-राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) का अनुपालन
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में अधिकारियों को अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी कर दिया गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

2.4-राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में पत्र शीर्ष को द्विभाषी बनाने के लिए मूल्यांकन मुख्य (प्रशासन) को एक पत्र लिखा गया था, जिसके अनुसरण में अब पत्र शीर्ष को द्विभाषी रूप में ही जारी किया जा रहा है।

(अनुपालन पूर्ण)

2.5-हिन्दी अनुभाग में स्टाफ की कमी

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिन्दी अनुभाग में एक कार्मिक की तैनाती के लिए मूल्यांकन मुख्य (प्रशासन) को पत्र लिखा जा चुका है। आगे की कार्यवाही प्रशासन की तरफ से प्रक्रियागत है।

(कार्यवाही: प्रक्रियागत)

2.6-राजभाषा पैम्फलेट एवं स्टिकी नोट्स का परिचालन

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कार्यालन में हिन्दी कार्यों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए राजभाषा पैम्फलेट व हिन्दी स्टिकी नोट्स का परिचालन किया जा चुका है।

(अनुपालन पूर्ण)

3-वर्तमान बैठक में लिए गए निर्णय

वर्तमान बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है।

3.1-हिन्दी प्रतियोगिता हेतु आवंटित फंड का समुचित उपयोग करने हेतु

इस बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि हिन्दी प्रतियोगिता के लिए आवंटित फंड का समुचित उपयोग किया जाए। विश्व हिन्दी दिवस (10 जनवरी) एवं गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) आदि के अवसरों पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा पुरस्कार मेला, संगोष्ठी एवं प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर फंड का सदुपयोग कर लिया जाए।

(कार्यवाही: राजभाषा अनुभाग)

3.2- अन्य बिन्दु/सुझाव

इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि राजभाषा नियमानुसार टिप्पणी एवं पत्र (मसौदे) हिन्दी में लिखे जाएं। लक्ष्य से भी ज्यादा कार्य हिन्दी में किया जाए। टिप्पणी व मसौदा लेखन कार्य करते समय अनिवार्य रूप से सभी भौतिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए; हिन्दी भाषा लिखने के लिए ई-ऑफिस में विद्यमान कंठस्थ यूटिलिटी, क्विक नोटिंग का प्रयोग किया जाए और हिन्दी टायपिंग के लिए युनिकोड, हिन्दी फनेटिक, गूगल इनपुट टूल, वाइस टायपिंग आदि का प्रयोग किया जाए; और हिन्दी अनुवाद व हिन्दी भाषा शब्दों का प्रयोग बढ़ाने के लिए अनुवाद सारथी, गूगल ट्रांस्लेट एवं अनुवाद हेतु अन्य ऑनलाइन वेबसाइटों एवं ऐप्स का प्रयोग किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

अंत में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इसे आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बगाडे 05/01/26.

(अनिता एस. बगाड़े)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II)/राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
2-आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
4-समस्त उप/सहायक आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5-मुख्य लेखाधिकारी (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6-समस्त अनुभाग (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
7-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
8-सहायक निदेशक/राजभाषा, DGPM, नई दिल्ली, को अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रेषित। (म.सं.-2)
9-ई.डी.आई, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।